

लाली वगै० बनाम ईश्वर वगै०
मु०नं० 68/2018
दावा अ०धा० 53, 88, 188

दिनांक -03.06.2022 आज यह पत्रावली वकील वादीयागण की ओर से मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर राजस्व कैम्प पंचायत समिति सूरजगढ़ में तबल की गई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अधिवक्ता पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर विवादित भूमि ख.नं. 56, 57, 58, 59, 212 वाके मौजा फतेहपुरा का विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./21/1105 दिनांक 07.07.2021 में अंकितानुसार पक्षकारान को अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

125
15-6-22

↓
(संदीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
सूरजगढ़